कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 5335 /14–1, आगरा, दिनांक, 20 जून, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :— जनपद आगरा के अन्तर्गत भारत संचार निगम लि0 द्वारा आगरा—बाह—कचौराघाट मार्ग के किमी0 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दांयी पटरी पर ग्राम अरनौटा से ग्राम कचौराघाट तक ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अन्तर्गत संयोजन हेतु आप्टीकल फाईबर केबिल डालने हेतु प्रभावित 1.395 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :— आपके कार्यालय की पत्र सं0—3405/11—सी दिनांक 26.04.2023 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा का पत्रांक 5808/14—1 दि 12.06.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धित अभिलेखों सहित प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के सन्दर्भित पत्र (संलग्न है) द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, के आधार पर अनुपालन आख्या निम्नवत् है :—

क0सं0	आपत्ति	अनुपालन
1.	प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनवद्वता संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनवद्वता संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
3.	प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि के एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनवद्वता संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
4.	प्रस्ताव के साथ संलग्न वन संरक्षक, आगरा का पत्र एवं संस्तुति का भाग—3 में किमी0 44.700 चैनेज से 91.700 तक अंकित है, जबकि प्रभागीय निदेशक, आगरा के स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट एवं संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में किमी0 44.700 से 91.200 तक अंकित है। इसके अतिरिक्त प्रभागीय निदेशक द्वारा अन्य प्रमाण पत्र की पेज सं0—13, 27, 28, 31, 39, 41, 42, 43, 44 एवं 53 पर भी किमी0 44.700 चैनेजे 91.200 तक अंकित है। अतः स्थिति स्पष्ट करते हुए सही चैनेज संख्या अंकित कर प्रस्ताव के साथ संशोधित वचनवद्वता/प्रमाण संलग्न कर ऑनलाईन भाग—2 में अपलोड करें।	प्रभागीय निदेशक, आगरा द्वारा सही चैनेज अंकित कर सम्बन्धित संशोधित वचनबद्धता/ प्रमाण पत्र एवं वन संरक्षक, आगरा का संस्तुति का भाग—3 संशोधित कर संलग्न कर प्रेषित है।
5.	प्रस्ताव के साथ पेनड्राइव संलग्न है। अतः पुनः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कर विषयसूची सहित प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक एक ही फोल्डर में पी.डी.एफ. फाईल अपलोड कर एक प्रस्ताव के साथ पेन ड्राइव सहित संलग्न करें।	संलग्न है।

प्रस्ताव की आपत्तियों से सम्बन्धित अभिलेख, वचनबद्धता/प्रमाण पत्र 03 प्रतियों में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 5335 /14-1 समदिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि डिवीजनल इंजीनियर, भारत संचार निगम लि0, टैक्स भवन, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा। o/c

OS/Draftman/letter-22

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 5808 / 14—1 दिनांक : आगरा : ~~अप्रैल~~, 12-06 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

विषय : जनपद आगरा के अन्तर्गत भारत संचार निगम लि0 द्वारा आगरा—बाह—कचौराघाट मार्ग के किमी0 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दांयी पटरी पर ग्राम अरनौटा से ग्राम कचौराघाट तक ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अन्तर्गत संयोजन हेतु आप्टीकल फाईबर केबिल डालने हेतु प्रभावित 1.395 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ की पत्र संख्या—3405 / 11—सी दिनांक 26.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में लगायी गयी आपत्ति का निस्तारण कर अनुपालन आख्या संस्तुति सहित निम्न प्रकार आपकी सेवा में प्रेषित है :—

क0सं0	आपत्ति	अनुपालन
1.	प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनवद्वता संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का शुद्व वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनवद्वता संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
3.	प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि के एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनवद्वता संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
4.	प्रस्ताव के साथ संलग्न वन संरक्षक, आगरा का पत्र एवं संस्तुति का भाग—3 में किमी0 44.700 चैनेज से 91.700 तक अंकित है, जबकि प्रभागीय निदेशक, आगरा के स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट एवं संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में किमी0 44.700 से 91.200 तक अंकित है। इसके अतिरिक्त प्रभागीय निदेशक द्वारा अन्य प्रमाण पत्र की पेज सं0— 13, 27, 28, 31, 39, 41, 42, 43, 44 एवं 53 पर भी किमी0 44.700 चैनेजे 91.200 तक अंकित है। अतः स्थिति स्पष्ट करते हुए सही चैनेज संख्या अंकित कर प्रस्ताव के साथ संशोधित वचनवद्वता / प्रमाण संलग्न कर ऑनलाईन भाग—2 में अपलोड करें।	संशोधित वचनवद्वता / प्रमाण पत्र संलग्न है।
5.	प्रस्ताव के साथ पेनड्राइव संलग्न है। अतः पुनः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कर विषयसूची सहित प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक एक ही फोल्डर में पी.डी.एफ. फाईल अपलोड कर एक प्रस्ताव के साथ पेन ड्राइव सहित संलग्न करें।	संलग्न है।

भवदीय

A. Kumar

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपि डिवीजनल इंजीनियर, भारत संचार निगम लि0 टैक्स भवन आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

Com-3/Draftman/Letter-20/77

PROPOSAL NO. FP/UP/OFC/35215/2018

विषय : जनपद आगरा तहसील बाह में आगरा -बाह- कचौराघाट मार्ग (SH-62) के कि० मी० 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दायीं पटरी पर ग्राम अरनोटा से ग्राम कचौराघाट तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अंतरगर्त, संयोजन हेतु ऑप्टिकल फाइबर डालने हेतु प्रभावित हे० 1.395 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

प्रमाण पत्र

" प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रेषित प्रस्ताव का भली- भांति परिक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तरगर्त निर्गत आदेशों, नियमों व दिशा - निर्देशों के अनुरूप है। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिंदु पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य के प्रकरण में किसी बिंदु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वंय उत्तरदायी होंगे। "

ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan,Agra-282001

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

प्रतिहस्ताक्षरित
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा

भाग–3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद आगरा के अन्तर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा आगरा–बाह–कचौराघाट (SH-62) के किमी0 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दांयी पटरी पर ग्राम अरनौटा से ग्राम कचौराघाट तक ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अन्तर्गत संयोजन हेतु आप्टीकल फाईबर डालने हेतु प्रभावित 1.395 है0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

Proposal No. - 35215/2018

14.	स्थल जहॉ की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हॉ/नहीं)। यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15.	क्या सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा दी गई सूचना से सहमत हैं।	सहमत
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत प्रकरणों के साथ विशेष सिफारिशे –	प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक : 20-06-2023

स्थान :आगरा

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

OS/Draftman/letter-22

भाग - 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

PROPOSAL NO. FP/UP/OFC/35215/2018

विषय : जनपद आगरा तहसील बाह में आगरा -बाह- कचौराघाट मार्ग (SH-62) के कि० मी० 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दायीं पटरी पर ग्राम अरनोटा से ग्राम कचौराघाट तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अंतरगर्त, संयोजन हेतु ऑप्टिकल फाइबर डालने हेतु प्रभावित हे० 1.395 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय सम्बंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिपण्णी दी जाए।)

भाग - 5

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो , द्वारा भरा जाना है।)

PROPOSAL NO. FP/UP/OFC/35215/2018

विषय : जनपद आगरा तहसील बाह में आगरा -बाह- कचौराघाट मार्ग (SH-62) के कि० मी० 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दायीं पटरी पर ग्राम अरनोटा से ग्राम कचौराघाट तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अंतरगर्त, संयोजन हेतु ऑप्टिकल फाइबर डालने हेतु प्रभावित हे० 1.395 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

18- राज्य सरकार की सिफारिश।

उपर्युक्त भाग -ख या भाग -ग भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिपण्णी की जाए।

उपमहाप्रबन्धक (प्रचालन क्षेत्र)
कार्यालय महाप्रबन्धक व्यावसायिक क्षेत्र
सी ओ कम्पाउण्ड शहजादी मण्डी
आगरा (उ प्र)-282001
दूरभाष स 0562-2226988, फ़ैक्स स 0562-2225100

भारत सन्चार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

विषय : जनपद आगरा तहसील बाह में आगरा -बाह- कचौराघाट मार्ग (SH-62) के कि० मी० 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दायीं पटरी पर ग्राम अरनोटा से ग्राम कचौराघाट तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अंतरगर्तए संयोजन हेतु ऑप्टिकल फाइबर डालने हेतु प्रभावित हे० 1.395 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या : FP/UP/Others/35215/2018

क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर व्यय सम्बन्धी वचनबध्यता प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा उक्त विषयक प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केबिल के बिछाने हेतु प्रयुक्त की जाने वाली वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण में होने वाले व्यय को वहन करने के लिए प्रस्तावक विभाग वचनबद्ध है।

ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan, Agra-282001

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

उपमहाप्रन्धक (प्रचालन क्षेत्र)
कार्यालय महाप्रबन्धक व्यावसयिक क्षेत्र
सी ओ कम्पाउण्ड शहजादी मण्डी
आगरा (उ प्र)-282001
दूरभाष स 0562-2226988, फ़ैक्स स 0562-2225100

भारत सन्चार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रस्ताव संख्या: FP/UP/Others/35215/2018

Subject: Propoasal for seeking permission to use the 1.395 ha. Protected Forest Land for non- forestry purpose for laying of Opticatl Fibre Cable along Agra-Bah-Kachoraghat Road (SH-62) from Km. Ch.44.700 to 91.200 on RHS by Bharat Sanchar Nigam Limited, Agra (To provide Hi-speed internet connectivity to all Village panchayats of the country under BharatNet project) in Distt. Agra (U. P.)

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF THE NET PRESENT VALUE (NPV) AND COST ESCALATION CERTIFICATE

It is here by undertaking to pay the entire amount for the Net Present Value (NPV) by BSNL (user agency) CTO compound, Shahzadi Mandi Agra 282001 (U.P.) in lieu of the protected forest area diverted (under FCA-1980) of 1.395 hectare for non Forestry purpose in above subjected proposal as per prevailing wage rates whenever demanded by Forest Department.

It is also undertaking that if there any provisions for cost escalation due to inflation for compensatory scheme for the use of protected forest land for diversion (under FCA-1980) of 1.395 hectare for non Forestry purpose in above subjected proposal that will be admissible by the BSNL (user agency) CTO compound Shahzadi Mandi Agra 282001 (U.P.)

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा

ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan,Agra-282001

115

PROPOSAL NO. FP/UP/OFC/35215/2018

दुर्लभ / संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियाँ सम्बन्धी प्रमाण पत्र

विषय : जनपद आगरा तहसील बाह में आगरा -बाह- कचौराघाट मार्ग (SH-62) के कि० मी० 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दायीं पटरी पर ग्राम अरनोटा से ग्राम कचौराघाट तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अंतरगर्त, संयोजन हेतु ऑप्टिकल फाइबर डालने हेतु प्रभावित हे० 1.395 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विषयक प्रस्ताव में प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केबिल के बिछाने हेतु प्रस्तावित कुल 1.395 हेक्टे0 संरक्षित वनभूमि के क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जगत की कोई दुर्लभ / संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियाँ नहीं पायीं जाती हैं

ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan,Agra-282001

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

(115)

PROPOSAL NO. FP/UP/OFC/35215/2018

स्मारक क्षेत्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र

विषय : जनपद आगरा तहसील बाह में आगरा -बाह- कचौराघाट मार्ग (SH-62) के कि० मी० 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दायीं पटरी पर ग्राम अरनोटा से ग्राम कचौराघाट तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अंतरगर्त, संयोजन हेतु ऑप्टिकल फाइबर डालने हेतु प्रभावित हे० 1.395 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विषयक प्रस्ताव में प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केबिल के बिछाने हेतु प्रस्तावित कुल 1.395 हेक्टे0 संरक्षित वनभूमि सुरक्षित पुरातत्वीय/ पारस्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित नहीं है

Ayadav

ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan,Agra-282001

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

(16)

PROPOSAL NO. FP/UP/OFC/35215/2018

वन्स्वरूप क्षेत्रों सम्बन्धी प्रमाण पत्र

विषय : जनपद आगरा तहसील बाह में आगरा -बाह- कचौराघाट मार्ग (SH-62) के कि० मी० 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दायीं पटरी पर ग्राम अरनोटा से ग्राम कचौराघाट तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अंतरगर्त, संयोजन हेतु ऑप्टिकल फाइबर डालने हेतु प्रभावित हे० 1.395 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विषयक प्रस्ताव में प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केबिल के बिछाने हेतु प्रस्तावित कुल 1.395 हेक्टे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग की अनुमति विषयक प्रस्ताव में संरक्षित वनभूमि के अतिरिक्त चिन्हित वन्स्वरूप क्षेत्रों की कोई भूमि सम्मिलित नहीं हैं

A Yadav

ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan, Agra-282001

प्रतिहस्ताक्षरित

A'Kum

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

उपमहाप्रन्धक (प्रचालन क्षेत्र)
कार्यालय महाप्रबन्धक व्यावसयिक क्षेत्र
सी टी ओ कम्पाउण्ड शहजादी मण्डी
आगरा (उ प्र)-282001
दूरभाष स 0562-2226988, फ़ैक्स स 0562-2225100

भारत सन्चार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

29

मानक शर्तें

विषय : जनपद आगरा तहसील बाह में आगरा -बाह- कचौराघाट मार्ग (SH-62) के कि० मी० 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दायीं पटरी पर ग्राम अरनोटा से ग्राम कचौराघाट तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अंतरगर्तए संयोजन हेतु ऑप्टिकल फाइबर डालने हेतु प्रभावित हे० 1.395 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

(वन अनुभाग , उ० प्र० शासन के पत्रांक 7314/14-3-1980/82 dt 31.12.85 द्वारा मानक शर्ते)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित /आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रशनगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा , अन्य प्रयोजन हेतु कदाचित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुरक्षित कर लिया जाए कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तांतरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ऐसा किए जाने पर संबंधित वन अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग द्वारा अपने व्यय से संबंधित वन अधिकारी की देखरेख में कराएगा तथा इस संबंध में बनाए गए मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तांतरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तांतरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन संपदा से आच्छादित एवं वन जंतुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथासंभव प्रस्तावित ना किया जाए। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा परंतु प्रतिबंध यह होगा की वन संपदा की क्षतिपूर्ण एवं वन्य जंतुओं के स्वच्छंद विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जाएगी।
9. याचक विभाग द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों को निशुल्क जन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वत: बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जाएगी।वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को ना रहने पर भी हस्तांतरित भूमि आदि स्वत: (Automatic) बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जाएगा।
11. ऑप्टिकल फाइबर केबल के बिछाने में प्रस्तावों पर "एलाइनमेंट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श "उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग" द्वारा प्राप्त किया जाएगा तथा

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा

ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan, Agra-282001

उपमहाप्रन्धक (प्रचालन क्षेत्र)
कार्यालय महाप्रबन्धक व्यावसयिक क्षेत्र
सी टी ओ कम्पाउण्ड शहजादी मण्डी
आगरा (उ प्र)-282001
दूरभाष स 0562-2226988, फ़ैक्स स 0562-2225100

भारत सन्चार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

(30)

इस संबंध में प्रमुख प्रमुख अभियंता, "उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग" के अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को संबोधित पत्र संख्या 608/ सी दिनांक 10.2.82 में निहित आदेशों का पालन भी "उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग" द्वारा किया जाएगा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के बिछाने में मामूली फेरबदल कर करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त ना होगा और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने ही आवश्यक है।

12. वन भूमि का मूल्य संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जाएगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव ना हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तांतरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिशोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिध्द है इसी प्रकार बाज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पातन का निरीक्षण वन संरक्षण स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि में प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केबल के बिछाने में यथासंभव पेड़ों का कटान नहीं किया जाएगा या ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने में उसे सुनिश्चित किया जाएगा। यदि फिर भी पेड़ों का भी कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी।जिस पर संबंधित वनरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि ऑप्टिकल फाइबर केबल में के बिछाने में भू-रक्षण की संभावना होती है और ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं कराएगा।
17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो वह याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन विभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाए, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाए अथवा उसका उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाए।

मैं भारत संचार निगम लिमिटेड आगरा का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त सभी शर्तें मानने हैं तथा उनका अनुपालन किया जाएगा।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय निदेशक

ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan,Agra-282001

उपमहाप्रन्धक (प्रचालन क्षेत्र)
कार्यालय महाप्रबन्धक व्यावसयिक क्षेत्र
सी टी ओ कम्पाउण्ड शहजादी मण्डी
आगरा (उ प्र)-282001
दूरभाष स 0562-2226988, फ़ैक्स स 0562-2225100

भारत सन्चार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने सम्बंधित प्रमाण पत्र

प्रस्ताव संख्या : FP/UP/Others/35215/2018

विषय : जनपद आगरा तहसील बाह में आगरा -बाह- कचौराघाट मार्ग (SH-62) के कि० मी० 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दायीं पटरी पर ग्राम अरनोटा से ग्राम कचौराघाट तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अंतरगर्त, संयोजन हेतु ऑप्टिकल फाइबर डालने हेतु प्रभावित हे० 1.395 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर संयोजन हेतु केबिल डालने का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। उक्त मार्ग पर प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर संयोजन हेतु केबिल डालने का कार्य शासन की अनुमति प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan, Agra-282001

उपमहाप्रन्धक (प्रचालन क्षेत्र)
कार्यालय महाप्रबन्धक व्यावसयिक क्षेत्र
सी टी ओ कम्पाउण्ड शहजादी मण्डी
आगरा (उ प्र)-282001
दूरभाष स 0562-2226988, फ़ैक्स स 0562-2225100

भारत सन्चार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

33

प्रस्ताव संख्या : FP/UP/Others/35215/2018

विषय : जनपद आगरा तहसील बाह में आगरा -बाह- कचौराघाट मार्ग (SH-62) के कि० मी० 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दायीं पटरी पर ग्राम अरनोटा से ग्राम कचौराघाट तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अंतरगर्तए संयोजन हेतु ऑप्टिकल फाइबर डालने हेतु प्रभावित हे० 1.395 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

भूमि स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर संयोजन हेतु केबिल डालने में प्रयुक्त की जाने वाली संरक्षित भूमि का भू-स्वामित्व लोक निर्माण विभाग , उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का है। प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर संयोजन हेतु केबिल डालने हेतु आई टी एंव इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग -1 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 880/78/-1-2013/81 इले0/ 98 दिनांक 19.09.2013 के प्रस्तर MOU No./NOFN/ROW-27 dated: 26.10.2012 की धारा 6.5 के द्वारा अनुमति प्राप्त है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan,Agra-282001

उपमहाप्रन्धक (प्रचालन क्षेत्र)
कार्यालय महाप्रबन्धक व्यावसयिक क्षेत्र
सी टी ओ कम्पाउण्ड शहजादी मण्डी
आगरा (उ प्र)-282001
दूरभाष स 0562-2226988, फ़ैक्स स 0562-2225100

भारत सन्चार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

(34)

विषय : जनपद आगरा तहसील बाह में आगरा -बाह- कचौराघाट मार्ग (SH-62) के कि० मी० 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दायीं पटरी पर ग्राम अरनोटा से ग्राम कचौराघाट तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अंतरगर्तए संयोजन हेतु ऑप्टिकल फाइबर डालने हेतु प्रभावित हे० 1.395 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या : FP/UP/Others/35215/2018

वन अधिकार एक्ट 2006 के सम्बन्ध में वचनबध्यता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की याचक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा_तहसील बाह जनपद आगरा में किमी चैने० 44.700 से चैने० 91.200 तक आगरा बाह कचौराघाट मार्ग (SH 62) की दायीं पटरी पर भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अंतरगर्त ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने के कार्य में वन अधिकार एक्ट 2006 (FRA 2006) का पूर्ण पालन किया जाएगा तथा उक्त सम्बन्धी प्रमाण पत्र को जिलाधिकारी आगरा से प्राप्त कर सैद्धांतिक स्वीकृति उपरान्त याचक विभाग द्वारा अनुपालन आख्या के साथ संलग्न कर दिया जाएगा ।

A Yadav
ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan, Agra-282001

प्रतिहस्ताक्षरित

A'Kum
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा

उपमहाप्रन्धक (प्रचालन क्षेत्र)
कार्यालय महाप्रबन्धक व्यावसयिक क्षेत्र
सी टी ओ कम्पाउण्ड शहजादी मण्डी
आगरा (उ प्र)-282001
दूरभाष स 0562-2226988, फ़ैक्स स 0562-2225100

भारत सन्चार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

35

विषय : जनपद आगरा तहसील बाह में आगरा -बाह- कचौराघाट मार्ग (SH-62) के कि० मी० 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दायीं पटरी पर ग्राम अरनोटा से ग्राम कचौराघाट तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अंतरगर्तए संयोजन हेतु ऑप्टिकल फाइबर डालने हेतु प्रभावित हे० 1.395 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या : FP/UP/Others/35215/2018

लीज अवधि सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु प्रयुक्त कि जाने वाली 1.395 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि का भू - स्वामित्व उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का है। उक्त संरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण के प्रकरण में लीज कि आवश्यकता नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan, Agra-282001

उपमहाप्रन्धक (प्रचालन क्षेत्र)
कार्यालय महाप्रबन्धक व्यावसयिक क्षेत्र
सी टी ओ कम्पाउण्ड शहजादी मण्डी
आगरा (उ प्र)-282001
दूरभाष स 0562-2226988, फ़ैक्स स 0562-2225100

भारत सन्चार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

36

विषय : जनपद आगरा तहसील बाह में आगरा -बाह- कचौराघाट मार्ग (SH-62) के कि० मी० 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दायीं पटरी पर ग्राम अरनोटा से ग्राम कचौराघाट तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अंतरगर्तए संयोजन हेतु ऑप्टिकल फाइबर डालने हेतु प्रभावित हे० 1.395 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या : FP/UP/Others/35215/2018

अनुबंध-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोगार्थ जो नियम व मानक शर्तें भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी की गयीं हैं , सभी शर्तें मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जाएगा।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan,Agra-282001

उपमहाप्रन्धक (प्रचालन क्षेत्र)
कार्यालय महाप्रबन्धक व्यावसयिक क्षेत्र
सी टी ओ कम्पाउण्ड शहजादी मण्डी
आगरा (उ प्र)-282001
दूरभाष स 0562-2226988, फ़ैक्स स 0562-2225100

भारत सन्चार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

(37)

विषय : जनपद आगरा तहसील बाह में आगरा -बाह- कचौराघाट मार्ग (SH-62) के कि० मी० 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दायीं पटरी पर ग्राम अरनोटा से ग्राम कचौराघाट तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अंतरगर्तए संयोजन हेतु ऑप्टिकल फाइबर डालने हेतु प्रभावित हे० 1.395 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या : FP/UP/Others/35215/2018

लाभान्वित होने वाले ग्रामों एंव परिवारों का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित आगरा -बाह- कचौराघाट मार्ग (SH-62) के कि० मी० 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दायीं पटरी पर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल डालने से भारतनेट परियोजना के अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इन्टरनेट से जोड़ने पर बेहतर इन्टरनेट प्रणाली और वाईफाई की सुविधा होगी , क्षेत्र का आर्थिक एंव सामाजिक विकास होगा एंव आमदनी बढेगी। सम्बंधित मार्ग के दोनों बसे अनेक ग्रामों का बहुमुखी विकास होगा तथा उपरोक्त ग्रामों में रहने वाले सभी परिवार एंव सम्पूर्ण जनसँख्या लाभान्वित होगी।

A. Yadav
ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan, Agra-282001

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग

उपमहाप्रन्धक (प्रचालन क्षेत्र)
कार्यालय महाप्रबन्धक व्यावसयिक क्षेत्र
सी टी ओ कम्पाउण्ड शहजादी मण्डी
आगरा (उ प्र)-282001
दूरभाष स 0562-2226988, फ़ैक्स स 0562-2225100

भारत सन्चार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

20

विषय : जनपद आगरा तहसील बाह में आगरा -बाह- कचौराघाट मार्ग (SH-62) के कि० मी० 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दायीं पटरी पर ग्राम अरनोटा से ग्राम कचौराघाट तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अंतरगर्तए संयोजन हेतु ऑप्टिकल फाइबर डालने हेतु प्रभावित हे० 1.395 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या : FP/UP/Others/35215/2018

ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) के अंतर्गत प्रस्तावित संपर्क मार्ग के निर्माण में वृक्ष पातन नहीं किये जाने सम्बन्धी वचनबध्यता प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) के अंतर्गत उक्त विषयक प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केबिल के बिछाने हेतु प्रयुक्त की जाने वाली वन भूमि के हस्तान्तरण के प्रकरण में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा जिसके लिए प्रस्तावक विभाग वचनबध्य है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan, Agra-282001

उपमहाप्रन्धक (प्रचालन क्षेत्र)
कार्या महाप्रबन्धक व्यावसयिक क्षेत्र
सी टी ओ कम्पाउण्ड शहजादी मण्डी
आगरा (उ प्र)-282001
दूरभाष स 0562-2226988, फ़ैक्स स 0562-2225100

भारत सन्चार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

140

विषय : जनपद आगरा तहसील बाह में आगरा -बाह- कचौराघाट मार्ग (SH-62) के कि० मी० 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दायीं पटरी पर ग्राम अरनोटा से ग्राम कचौराघाट तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अंतरगर्तए संयोजन हेतु ऑप्टिकल फाइबर डालने हेतु प्रभावित हे० 1.395 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

Undertaking For Entire Tree Plantation

प्रस्ताव संख्या: FP/UP/Others/35215/2018

उपरोक्त प्रस्ताव संख्या के सम्बन्ध में प्रमाणित किया जाता है कि भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभार आगरा के अंतरगर्त अरनोटा-बाह-कचौराघाट मार्ग के किनारे तहसील बाह जिला आगरा में भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अन्तरगर्त ओ एफ सी केबल बिछाने के मार्ग में कोई वृक्ष नहीं है। उक्त परियोजना में किसी भी वृक्ष का पतन नहीं किया जाएगा। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर वृक्षारोपण किया जायेगा , इसके लिए भारत संचार निगम लिमिटेड वचनबद्ध है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan, Agra-282001